1

<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,</u> जिला बालाघाट(म0प्र0)

<u>प्रकरण क्रमांक 489 / 08</u> <u>संस्थित दिनांक -14 / 07 / 08</u>

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना मलाजखण्ड़ जिला बालाघाट म0प्र0

अभियोगी

/ / विरूद्ध / /

अनीष खान पिता जमीर खान उम्र 23 वर्ष साकिन बिरसा थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::<u>निर्णय::</u> { दिनांक 24 / 10 / 2016 को घोषित}

- 01. अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304ए तथा मोटर यान अधिनियम की धरा 146/196, 134/187 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 15.04.2008 को करीब 19:00 बजे ग्राम मोहबट्टा लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक सी0जी0-07/सी0-6609 को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्ण चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर ठोस मारकर गायत्रीबाई, को साधारण उपहित व कीर्तन को घोर उपहित तथा कुमारी भारती की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नही आता है, एवं उक्त वाहन को बगैर बीमा के चलाया और उक्त दुर्घटना में क्षतिग्रस्त आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी।
- 02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी थानसिंह ने थाना मलाजखण्ड में सूचना दी की दिनांक 15.04.2008 की शाम करीब 07:00 बजे कीर्तन सतनामी निवासी सीतापुर अपनी पत्नी तथा बच्ची को बैठाकर मोटरसाईकिल से मलाजखण्ड तरफ से आ रहा था। रोड़ के दाहिनी तरफ सीतापुर रोड़ पर अपनी मोटरसाईकिल को मोड़ा उस समय बैहर तरफ से पिकअप गाड़ी के चालक तेजगित एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटरसाईकिल चालक को ठोस मारा जिससे चालक कीर्तन सतनामी उसकी पत्नी तथा बच्ची को चोटें आयीं। बच्ची पिकअप के अगले चके के सामने आ गयी थी। सूचना

पर अज्ञात चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गयी, घायलों का मुलाहिजा कराया गया तथा मृतक का शव परीक्षण कराया गया। घटना का मौकानक्शा बनाकर जप्ती कार्यवाही कर आरोपी को गिरफतार किया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

- 03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फसाया गया है। प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि :--
 - (1) क्या आरोपी ने दिनांक 15.04.2008 को समय करीब 19:00 बजे ग्राम मोहगांव लोक मार्ग पर वाहन क्रमांक सी.जी. 07 / सी0—6609 को उतावलेपन या उपेक्षा पूर्वक रीति से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
 - (2) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर ठोस मारकर आहत गायत्रीबाई को साधारण उपहति कारित की ?
 - (3) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर ठीस मारकर आहत कीर्तन सतनामी को घोर उपहति कारित की ?
 - (4) क्या आरोपी ने उक्त समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक रीति से चलाकर कुमारी भारती की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नही आती है ?
 - (5) क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बगैर बीमा के चालन किया ?
 - (6) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने चोट ग्रस्त आहतगण को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं करायी ?

ःसकारण निष्कर्षःः

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1,2,3,तथा 4

साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

- 05. घटना की पुष्टि करते हुए आहत कीर्तन कोठले (अ०सा०३) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व शाम करीब छः से सात बजे ग्राम मोहगांव पुराने बैक के पास की है। वह अपनी पित्न व बच्ची के साथ मोटरसाईकिल से अपने घर ग्राम सीतापुर आ रहा था। घटनास्थल पर गाड़ी खड़ी कर मोबाईल से बात कर रहा था तभी बैहर तरफ से आने वाली पिकप वाहन ने टक्कर मार दी जिससे उसकी बच्ची पिकप वाहन के सामने के चके पर दब जाने से घटनास्थल पर ही फौत हो गयी थी और उसके दाहिनी पसली में फैक्चर हो गया था तथा दाहिने घुटने में चोट आयी थी। वह नहीं देख पाया कि घटना के समय पिकप वाहन कौन चला रहा था। उसका चिकित्सीय परीक्षण प्रायवेट अस्पताल रायपरु एवं नागपुर में हुआ था।
- 06. गायत्री कोठले (अ०सा०४) ने उक्त कथन की पुष्टि करते हुए कथन किये है कि घटना के समय वह अपने पित कीर्तन एवं बच्ची के साथ मोटरसाईकिल में बैठकर मलाजखण्ड़ से ग्राम सीतापुर आ रहे थे। मोहगांव बस स्टेण्ड के के पास उसके पित खड़े होकर बात कर रहे थे तथी बैहर तरफ से आते हुए पिकप वाहन ने टक्कर मारा जिससे उसके पित कीर्तन व बच्ची को चोटें आयी थी उसे भी सीने में चोट आयी थी। घटना के समय पिकप वाहन को आरोपी अनीष खान चला रहा था तथा दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। दुर्घटना में उसकी बच्ची भारती फौत हो गयी थी। साक्षी का इलाज ताम्र पिरियोजना मलाजखण्ड़ अस्पताल तथा शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था।
- 07. घटना के सूचनाकर्ता थानिसंह (अ0सा01) का कथन है कि हाटना मोहगांव नये बस स्टेण्ड के सामने की है, वह अपने भाई की दुकान में बैठा था। अचानक घटनास्थल पर एक गाड़ी आयी तथा कीर्तन सतनामी जो मोटरसाईकिल में था, को टक्कर मार दी। आरोपी टक्कर मारकर घटनास्थल से भाग गया था। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी01 थाना मलाजखण्ड़ में की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष हाटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी02 नहीं बनाया था और न ही उसके समक्ष हाटनास्थल से आहत की गाड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी03 बनाया था। परंतु उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 08. गणेशलाल (अ०सा०९) ने भी घटना की पुष्टि की है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह बिरसा जा रहा था। उसने देखा था कि एक

4

मोटरसाईकिल जो मोहगांव नये बस स्टेण्ड में रोड की साईड में खड़ी थी जिसमें एक आदमी और बच्ची थी बैहर से मलाजखण्ड़ तरफ जाने वाली पिकप वाहन ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे पास में खड़ी लड़की को चोटें लगी थी। दुर्घटना दो—तीन वर्ष पुरानी होने के कारण उसे आहत गण के नाम व पिकप वाहन का नम्बर ध्यान नहीं है। एक आहत का नाम सतनामी था जो सीतापुर का रहने वाला था। दुर्घटना पिकप वाहन के चालक की गलती से हुई थी।

- 09. चिंताबाई (अ0सा010) के अनुसार घटना के समय वह लोग दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। एक ओर से मोटरसाईकिल जिसमें तीन लोग बैठे थे तथा दूसरी ओर से पिकप आ रहा था दोनों में टक्कर हो गयी थी जिसमें बाद में लड़की खत्म हो गयी थी। दुर्घटना पिकप वाहन के चालक की गलती से हुई थी। घटना जैसे ही हुई वह लोग आहतगण की देखरेख में लग गये थे उस सयम पिकप वाला अपना वाहन लेकर भाग गया था। घटना के दौरान एक लड़के ने नम्बर नोट कर लिया था जिसके आधार पर उन्हें पता चला था कि भीमजोरी के किसी व्यक्ति की गाड़ी है। फिर वह लोग गाड़ी वाले जिसका नाम वह नहीं जानती है, के घर गये थे। परंतु गाड़ी वाले ने उनसे कहा कि उसकी गाड़ी का कोई एक्सीडेण्ट नहीं हुआ है और वह किसी घटना के बारे में नहीं जानता है।
- 10. भागचंद (अ०सा०५) का कहना है कि घटना के समय आहत कीर्तन एवं उसका परिवार मलाजखण्ड़ तरफ से बैहर साईड आ रहा था। तो सामने आते हुए पिकप वाहन जो बैहर से मलाजखण्ड़ जा रहा था, ने झनक चौधरी की किराने की दुकान के सामने आहत की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी जिससे मोटरसाईकिल में बैठे कीर्तन उसकी पत्नी एवं बच्ची एक तरफ छिटक गये थे। पिकप वाहन सफेद रंग की थी। जिसमें फसने से बच्ची को गाड़ी पीछे करके निकाले थे। अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख पाया था कि उस समय पिकप वाहन को कौन चला रहा था। जब वह पानी लेकर आया तो पिकप वाहन वाला भाग गया था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी।
- 11. हीरालाल (अ०सा०६) का कथन है कि आहत कीर्तन उसका लड़का है तथा मृतक भारती उसकी नातिन थी। घटना दिनांक को कीर्तन अपने परिवार के साथ मोटरसाईकिल से मलाजखण्ड़ गया था और जब वह वापिस आ रहा था तो मोहगांव बस स्टेण्ड साईड में अपनी मोटरसाईकिल खड़ा कर दिया था। तभी सामने से पिकप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी थी

वह घटनास्थल में मौजूद नहीं था। उक्त सभी बातों की उसे सूचना प्राप्त हुई थी। उसने घटनास्थल पर जाकर अपनी नातिन भारती को उठाया और उसका ईलाज मोहगावं अस्पताल एवं बाद में मलाजखण्ड अस्पताल में कराया था। उसे जानकारी लगी थी कि पिकप वाहन मलाजखण्ड के भटनागर का था। उसे कौन चला रहा था इसकी जानकारी उसे नहीं है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी। पंचायतनामा प्र.पी06 तथा कु0 भारती का शव परीक्षण सुपुर्दनामा प्र.पी07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 12. शास्त्री (अ०सा०७) का कथन है कि घटना के समय वह सीतलपानी में था तो उसे कीर्तन ने घटना के संबंध में पिकप वाहन से एक्सीडेण्ड होने की सूचना दी थी। उसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पिकप वाहन का पीछा हमीनदास व नानु तुरकर ने किया था। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ की थी। बब्लू (अ०सा०८) ने घटना से स्पष्ट इंकार कर पुलिस को प्र.पी०८ का कथन देने से इंकार किया है।
- 13. अरविंद (अ०सा०12) ने जप्ती का आंशिक समर्थन किया है। उक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 03.07.08 को जप्ती पत्रक प्र.पी12 के अनुसार उसके समक्ष मनीष भटनागर से मैक्स पिकप वाहन क्रमांक सी.जी.07 / सी. —6609 जिसके दाहिने तरफ इंडीगेटर भाग दबा हुआ था एवं रजिस्ट्रेशन बुक जप्त किया था परंतु उसके समक्ष आरोपी अनीष खान से ड्रायविंग लायसेंस जप्ती पत्रक प्र.पी13 के अनुसार जप्त नहीं किया था। उक्त पत्रक के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 14. डां. एल.एन.एस. उइके (अ०सा०११) के अनुसार उन्होंने दिनांक 15.04.08 को पी०एच०सी० मोहगांव में पद स्थापना के दौरान आहत कीर्तन का परीक्षण करने पर रिपोर्ट प्र.पी०१ के अनुसार दायें घुटने के जोड़ में घाव पाया था और उसे एक्सरे एवं अस्थि रोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की सलाह दी थी। उसी दिनांक को उसके द्वारा आहत गायत्रीबाई कोठले का परीक्षण करने पर रिपोर्ट प्र.पी१० के अनुसार दाये पैर के निचले भाग पर चोटें पायीं थीं तथा उसे भी एक्सरे और अस्थि रोग विशेषज्ञ से जांच कराने की सलाह दी थी। उक्त दिनांक को ही कु० भारती का परीक्षण करने पर कपाल के सामने के भाग में एक घाव रिपोर्ट प्र.पी११ के अनुसार पाया था तथा एक्सरे के लिए अस्थिरोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की सलाह दी थी। साक्षी के अनुसार उक्त समस्त चोटें मुलाहिजा करने से दो से चार घण्टे के भीतर की थीं जो बोथरी और वजनी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थीं एवं उक्त रिपोर्ट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 15. अशोक लिल्हारे (अ०सा०13) के अनुसार दिनांक 16.04.08 को उसके द्वारा जिला चिकित्सालय बालाघाट में मृतक भारती का शव परीक्षण कर रिपोर्ट प्र.पी14 बनायी गयी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के अनुसार मृत्यु का कारण सिर की पेराईटल हड्डी टूटना, मस्तिष्क का कुछ भाग बाहर आ जाना तथा साथ में यकृत का फट जाना जिसके कारण अत्यधिक रक्त—स्त्राव होने से मृतक का हैमरेजिक शाक में चला जाना था। साक्षी के अनुसार मृत्यु पोस्ट मार्टम करने के लगभग 24 से 36 घण्टे के भीतर हुई थी।
- 16. डां. डी.कं.राउत (अ०सा०२) के अनुसार दिनांक ०२.०५.०८ को उसके द्वारा आहत कीर्तन का एक्सरे प्लेट का परीक्षण कर रिपोर्ट प्र.पी०४ के अनुसार दाहिने पैर के घुटने के जोड़ पर डिसलोकेशन पाया था तथा आहत गायत्री के एक्सरे प्लेट का परीक्षण प्र.पी०५ के अनुसार करने पर सीने की हड्डी में कोई फैक्चर इत्यादि होना नहीं पाया था। साक्षी के अनुसार उक्त रिपोर्ट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 17. रामेश्वर (अ०सा०१४) के अनुसार दिनांक 16.04.08 को अस्पताल चौकी बालाघाट में जिला चिकित्सालय बालाघाट से आर.श्रीवास्तव द्वारा लिखित तहरीर गंगाराम के द्वारा भेजने पर तहरीर के आधार पर मर्ग कमांक 0/08 पंजीबद्ध कर पंचनामा कार्यवाही किया था एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट तैयार कर पोस्ट मार्टम करवाया गया था। मर्ग इंटीमेशन प्र.पी१६ तथा शव पंचायतनामा प्र.पी१६ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतिका का संमंस प्र.पी०६ तथा शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी१४ के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 18. सुरेश विजयवार (अ०सा०15) का कथन है कि दिनांक 15.04.08 को थाना मलाजखण्ड़ में प्रार्थी थानिसंह चौधरी के द्वारा अज्ञात पिकप वाहन के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी०1 लेख कराया था। अपराध की कायमी के पश्चात घटनास्थल पहुंचकर घटनास्थल से आहत कीर्तन की मोटरसाईकिल सी.जी.07 / एल.एफ—8209 क्षतिग्रस्त तथा आरोपी के पिकप वाहन का सफेद रंग की इंडीकेटर टूटा हुआ जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी03 तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही मोहगांव अस्पताल जाकर आहत कीर्तन, गायत्री तथा भारती की एम0एल0सी कराया था जो कमशः प्र0पी09,10,11 हैं। दिनांक 16.04. 08 को प्रार्थी थानिसंह की निशानदेही पर घटनास्थल पहुंचकर प्र.पी02 का मौकानक्शा तैयार किया था उक्त समस्त दस्तावेजों के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी थानिसंह, भागचंद के कथन उनके बताये अनुसार

लेखबद्ध किये थे।

- 19. सुरेश विजयवार (अ०सा०15) के अनुसार डायरी अग्रिम विवेचना हेतु सहायक उपनिरीक्षक जे.पी.पाण्डे को दी गयी थी जो उस समय साक्षी के साथ थाना मलाजखण्ड़ में पदस्थ थे। जे.पी.पाण्डे का देहांत आज से करीब पांच—छः वर्ष पूर्व हो चुका है तथा वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। जे.पी.पाण्डे द्वारा आहत कीर्तन, गायत्री, शास्त्री, हीरालाल, बब्लू, गणेशलाल, चिंताबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा आरोपी अनीष खान से ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी12 तथा वाहन स्वामी मनीष भटनागर से पिकप वाहन कमांक सी.जी.07 / सी—6609 तथा आर.सी गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी13 तैयार किया था जिन पर जे.पी.पाण्डे के हस्ताक्षर हैं।
- 20. सुरेश विजयवार (अ०सा०१५) के अनुसार दिनांक 26.04.08 को जिला अस्पताल से 0/08 थारा 174 की असल कायमी हेतु मर्ग सूचना आरक्षक तिलक तेकाम द्वारा थाना लाकर पेश की थी जो असल मर्ग क्रमांक 04/08 मृतिका कु० भारती की प्रधान आरक्षक क्रमांक 295 राधेश्याम राहंगडाले द्वारा की गयी थी जो प्र.पी१४ है जिस पर राधेश्याम के हस्ताक्षर हैं। तथा साथ में कार्य करने के कारण राधेश्याम की हस्तिलिप व हस्ताक्षर से वह परिचित है। विवेचना के दौरान वाहन का बीमा पेश नहीं करने पर धारा 146/196 व तेज गित से वाहन चलाकर एक्सीडेण्ट करने से मोटर यान अधिनियम की धारा एवं आहत कीर्तन गायत्री के अस्थिमंग की रिपोर्ट के आधार पर धारा 338 भा. दं०सं० एवं मृतिका कु० भारती की मृत्यु होने पर धारा 304ए भा.दं०सं० बडायी गयी थी।
- 21. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि घटना दिनांक को सड़क दुध् िटना में आहत कीर्तन को गंभीर उपहित तथा गायत्री को उपहित कारित हुई थी जबिक कु0 भारती की मृत्यु कारित हुई थी परंतु क्या उक्त उपरोक्त दुध् िटना आरोपी द्वारा उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाकर कारित की गयी थी यह देखा जाना है। गायत्री कोठले (अ०सा०४) ने आरोपी को पहचानने और आरोपी द्वारा दुर्घटना करने के कथन किये हैं। सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने पिकप वाहन से दुर्घटना होना बताया है। हीरालाल (अ०सा०६) के अनुसार पिकप वाहन मलाजखण्ड के भटनागर का था। जप्ती साक्षी अरविंद (अ०सा०१२) ने मनीष भटनागर से पिकप वाहन के जप्ती पत्रक प्र.पी12 के अनुसार जप्त होने के कथन किये हैं। विवेचक साक्षी के कथन विवेचना के संबंध में अखण्ड़नीय हैं। अभियुक्त ने कोई भी बचाव साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

किया है कि घटना के संबंध में वह अन्यत्र स्थान पर था फलतः यह सिद्ध होता है कि दुर्घटना आरोपी द्वारा की गयी थी।

- 22. अभियुक्त की उपेक्षा के संबंध में कीर्तन (अ०सा०३) तथा गायत्री कोठले (अ०सा०४) के कथन हैं कि सड़क किनारे अपनी तरफ खड़े होकर मोबाईल पर बात करने के दौरान आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित की गयी जिसकी पुष्टि हीरालाल (अ०सा०६) और गणेशलाल (अ०सा०९) ने भी की है। यद्यपि हीरालाल (अ०सा०६) घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इसके विपरीत थानिसंह (अ०सा०१), भागचंद (अ०सा०५) तथा चिंताबाइ (अ०सा०१०) ने सड़क पर दुर्घटना होने के कथन किये हैं। यद्यपि थानिसंह (अ०सा०१) और भागचंद (अ०सा०५) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उनके सामने दुर्घटना नहीं हुई थी और वह घटना के बाद पहुंचे थे।
- 23. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी01 और मौकानक्शा प्र.पी02 से ह । टनास्थल मेन रोड़ सीतापुर मोड़ पर होना दर्शित है। आहत कीर्तन (अ0सा03) और पायत्री कोठले (अ0सा04) ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कीर्तन किससे मोबाईल पर बात कर रहा था और न ही मोबाईल के काल रिकार्ड प्रकरण में प्रस्तुत हैं जिससे यह दर्शित हो सके कि घटना के समय कीर्तन मोबाईल पर बात कर रहा था। गायत्री कोठले (अ0सा04) के अनुसार वह लोग उसके पिता बी.एल. माहेकर से बातचीत कर रहे थे तभी उसके पित को मोबाईल पर फोन आया। किसी भी साक्षी ने बी.एल. माहेकर की घटनास्थल पर मौजूदगी के कथन नहीं किये हैं और न हीं विवेचना के दौरान ऐसा कोई तथ्य आया हैं। बी.एल. माहेकर और मोबाईल पर फोन करने वाले व्यक्ति के अपरीक्षण के संबंध में कोई कारण दर्शित नहीं है।
- 24. विवेचक सुरेश विजयवार (अ०सा०15) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि संपूर्ण विवेचना के दौरान सड़क किनारे मोबाईल पर बात करने का तथ्य नहीं आया हैं। आहत साक्षीगण कीर्तन (अ०सा०3) व गायत्री कोठले (अ०सा०4) के न्यायालयीन कथनों और पुलिस कथन प्र.डी०1 तथा प्र. डी०2 में इस संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है यद्यपि अभियुक्त द्वारा दुर्घटना कारित करना सिद्ध है परंतु अभियुक्त की उपेक्षा अथवा उतावलेपन के संबंध में साक्ष्य का अभाव है। गायत्री कोठले (अ०सा०4), गणेशलाल (अ०सा०9) एवं चिंताबाई (अ०सा०10) के अनुसार दुर्घटना पिकप वाले की गलती से हुई थी। परंतु वाहन चालक की क्या गलती थी इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है, सड़क किनारे जाकर दुर्घटना करना प्रमाणित नहीं है।

25. उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्व ारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गित से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी—अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय पिकप वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गित से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलिब्ध नहीं है। जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षा पूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं लापरवाही से चलाकर आहत कीर्तन को घोर उपहति व गायत्री कोठले को साधारण उपहित तथा कु0 भारती की मृत्यु कारित की।

विचारणीय प्रश्न कमांक 05 एवं 06

- 26. थानसिंह (अ०सा०1), भागचंद (अ०सा०5) तथा चिताबाई (अ०सा०10) ने दुर्घटना के बाद पिकप वाहन के भागने के संबंध में अखण्ड़नीय कथन किये हैं। दुर्घटना में आहतगण को चोटें आना और पिकप वाहन अभियुक्त द्वारा चलाना साक्ष्य से सिद्ध है। सुरेश विजयवार (अ०सा०15) के अनुसार दौरान विवेचना बीमा पेश नहीं करने से अभियुक्त पर उक्त धारा बढ़ायी गयी थी। अभियुक्त ने उक्त संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की है कि घटना के समय उसके पास वाहन का बीमा था उक्त विशिष्ट तथ्य को प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर ही था कि घटना के समय उसके पास वाहन का बीमा था परिणाम स्वरूप अभियुक्त अनीष खान को भा.दं०सं० की धारा 279, 337, 338 एवं 304ए के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। परंतु धारा 146/196 तथा 134/187 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 27. अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता है।
- 28. अतः अभियुक्त अनीष खान पिता जमीर खान को मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196, 134/187 में दोषी पाकर धारा 146/196 के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 1,000/—(एक हजार) रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 134/187 के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास तथा

शा० वि० अनीष खान

500 / — (पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक—एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 29. प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं रहा है। इस के बारे में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जावे।
- 30. प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति पिकप वाहन सी.जी07/सी.—6609 तथा मोटरसाईकिल सी.जी.07/एल.एफ—8209 पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि की पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो। जप्तशुदा इंडीकेटर का प्लास्टिक का टुकडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में मान्नीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।
- 31. 🔷 🔀 अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।
- 32. अभियुक्त को इस निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा 363(1) दं०प्र0सं0 के तहत निशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, बालाघाट (म.प्र.)